भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 6292
गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026/12 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कृषि 'उड़ान' योजना के अंतर्गत उड़ानें

6292. श्री थरानिवेंथन एम. एस. :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि 'उड़ान' योजना के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर तमिलनाडु के लिए कुल कितनी उड़ानें संचालित की गई हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितनी मात्रा में और किस प्रकार के शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों का परिवहन किया गया है और इससे कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की आय, बाजार तक पहुंच और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी लाने पर इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना में छोटे और सीमांत किसानों की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कृषि उत्पादों की समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए कृषि उड़ान योजना को अन्य संभार तंत्र, शीत श्रृंखला अवसंरचना और ई-मार्केटिंग प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ) कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर, पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत-प्रभावी, समयबद्ध, हवाई परिवहन और संबंधित लॉजिस्टिक्स को सुनिश्चित करना है, ताकि यह उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार कर सके। तमिलनाडु में संभाला गया नाशवान टन भार निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)
2022-23	0.30
2023-24	0.34
2024-25	0.35

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, भारतीय विमानन क्षेत्र को विनियमनमुक्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, किसी भी मार्ग पर परिचालन करने का निर्णय मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य प्रासंगिक वाणिज्यिक सरोकारों के आधार पर पूर्ण रूप से एयरलाइनों पर निर्भर होता है।

कृषि उड़ान आठ मंत्रालयों/विभागों, जिनमें नागर विमानन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय शामिल हैं,

द्वारा की गई विभिन्न पहलों की एक अभिसरण योजना है। कृषि उड़ान योजना के तहत बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पादों जैसी खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया गया है।

हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज के आवागमन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय द्वारा चयनित हवाईअड्डों पर भारतीय मालवाहक और पी2सी (यात्री-से-कार्गो) विमानों के लिए कृषि उड़ान योजना के तहत लैंडिंग और पार्किंग प्रभारों से छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे चयनित एएआई हवाईअड्डों पर मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार (आरएनएफसी) और टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग प्रभार (टीएनएलसी) से छूट प्रदान की गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से अपने हितधारकों के लिए कृषि उड़ान जैसी सरकारी योजनाओं के संबंध में अपने सदस्यों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन भी करता है।
